

26 6/7/13

By Speed Post/RTI MATTER
(to be issued in Hindi)

No. VI.23014/132/2013-VS
Government of India
Ministry of Home Affairs
(PP Division)

NDCC-II Building, 3rd Floor,
Jai Singh Road,
New Delhi-110001, dated: 1st July, 2013.

To

Shri Deepak Rawat,
37A/IC/5C, Phoolbagh
Madhu Nagar,
Agra-282001 (UP).

Subject:- Application under the RTI Act-2005-reg.

Sir,

Please refer to your RTI application dated 15.04.2013 received in this unit on transfer on 20.05.2013.

9. 2. In this regard, it is stated that a copy of your RTI application dated 15.04.2013 was earlier received in this unit on transfer vide RTI Cell, MHA OM No.A-43020/01/2013-RTI dated 30.04.2013. The action on the above RTI application has already been taken and a reply in this regard was sent to you vide letter of even number dated 29.05.2013(copy enclosed).

Encl. As above.

Yours faithfully,


(Girish Kumar)
Director (VS) & CPIO
Tele: 011-23438120

APPLICATION UNDER RIGHT TO INFORMATION ACT, 2005

27

To:
The Central Public Information Officer,
Ministry of Home Affairs, Government of India,
North Block,
New Delhi - 110001

2871/RTI/2013
715113



1. Name & address of applicant:

S.D. PHENE,
204, MAHARAJA CHS, SECTOR 9,
VASHI, NAVI MUMBAI - 400703

2. Information required:

For deploying CRPF personnel for protecting Mukesh Ambani, the richest Indian, instead of charging him merely Rs. 15 lakhs, or so, ^{(to be paid probably by his companies),} why does not the Home Ministry charge whichever is the biggest of the following, by even changing the existing policy, instructions, etc, if necessary: -

(i) The estimated market charge for hiring such a well trained, fully equipped/armed and legally empowered force for personal protection of a multi-billionaire (\$ 21.5 billion).

(ii) The opportunity cost of diverting this force from alternative most-needed public-safety duty.


(iii) 1% p.a. of Mukesh Ambani's net worth. [This would be very reasonable, considering that his life is very precious, he can easily afford this to protect it, the markets swing his personal wealth by much wider margins and at much shorter intervals, and persons like Azim Premji, only the 3rd richest Indian, can afford to already contribute for charity more than 25% of his wealth. This money can be utilised for augmenting police force for public safety. He would have a bonus by way of the 'IT security' status symbol.]

3. Whether Sc/ST/Below poverty line: No

4. Rs. 10/- application fee paid: I.P.O. No. 13F 91553
dt. 23.04.2013 (Attached)

5. Information required by: Regd. post.

Vashi,
23rd April, 2013


(S.D. PHENE)
Signature of applicant

Div (VS)

24/5/13

दिनांक : 15/04/2013

सेवा में,

श्रीमान जनसूचना अधिकारी/ निदेशक (पी.एस.)
(गृह मंत्रालय, भारत सरकार) एन.डी.सी.सी.- द्वितीय
जय सिंह रोड़, नई दिल्ली- 110001

विषय : सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत निम्न सूचना देने का कष्ट करे।

महोदय,

मांगी जाने वाली सूचना निम्न प्रकार है।

- 1- यह है कि उत्तर प्रदेश के फतेहपुरसीकरी निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सांसद श्रीमति सीमा उपाध्याय को क्या जेड श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त है। यदि हाँ तो किस कारण जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है।
- 2- यह है कि देश के कितने सांसदों को जेड श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त है।
- 3- यह है कि सांसद सीमा उपाध्याय को जेड श्रेणी की सुरक्षा गृह विभाग दिल्ली से प्राप्त है या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान की गई है।
- 4- यह है कि उत्तर प्रदेश से निर्वाचित बहुजन समाज पार्टी के विधायक व पूर्व मंत्री श्रीमान रामवीर उपाध्याय को भी गृह विभाग दिल्ली द्वारा जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है। या उत्तर प्रदेश स्तर पर दी गई है। यदि हाँ तो श्रीमान रामवीर उपाध्याय जी ने सुरक्षा लेते वक़्त क्या कारण दर्शाया है। कृपा लिखित में उल्लेख कर जवाब दे।
- 5- यह है कि सीआईएसएफ के सुरक्षाकर्मी यदि सांसद/ विधायक की सुरक्षा में लगाए जाते हैं। तो वह किस श्रेणी में लगाए जाते हैं। अर्थात् उसे कौन सी श्रेणी कहते हैं।
- 6- यह है कि यदि वर्तमान में पति निर्वाचित विधायक (पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं) हैं और पत्नी वर्तमान में निर्वाचित सांसद है। तथा पति को जेड श्रेणी में सीआईएसएफ के सुरक्षाकर्मी प्राप्त हैं तो क्या पत्नी अपने साथ उक्त सुरक्षाकर्मी को अपनी सुरक्षा हेतु अपने साथ लेकर चल सकती है। जबकि सुरक्षा प्राप्त पति राज्य से बाहर हो।
- 7- यह है कि जेड श्रेणी सुरक्षा में कितने सुरक्षा कर्मी प्रदान किए जाते हैं। दिन एवं रात सहित विवरण बताएं।
- 8- यह है कि सूचना के अधिकार 2005 के अन्तर्गत उक्त 7 बिन्दुओं का जवाब गृह विभाग, दिल्ली के अन्तर्गत नहीं आता है। तो कृपा पते सहित लिखित में अवगत कराएं कि उक्त सभी प्रश्नों का उत्तर दिल्ली के किस मंत्रालय अथवा राज्य से प्राप्त किया जा सकता है।

91/08/RTI/13
20/5/13

44/05

4/17/13

4. ति. 2013

27/5

SRPK
20/5

25
60
9- यह कि यदि निर्वाचित विधायक (पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं) श्रीमान रामवीर उपाध्याय को जो सीआईएसएफ के सुरक्षाकर्मी प्राप्त है वो जिस कारण से लिए गए हैं। उन्होने सुरक्षाकर्मी लेने से पहले जो प्रार्थना पत्र विभाग को या उत्तर प्रदेश को दिया है। उसकी छायाप्रति की एक कापी उपलब्ध कराई जाए।

पृष्ठ- 2

अतः श्रीमान जी उपरोक्त सभी 9 बिन्दुओं का उत्तर लिखित में पत्रांक का दिनांक से 30 दिनों के अन्दर देने की कृपा करें। श्रीमान जी आपकी अति कृपा होगी। संबन्धित पत्र के साथ भारतीय पोस्टल आर्डर संख्या : 17 एफ 855512 दिनांक 10/05/2013 नामित श्रीमान जनसूचना अधिकारी/ निदेशक (पी.सी.) गृह मंत्रालय, भारत सरकार, जय सिंह रोड, नई दिल्ली- 110001 के नाम से संगलन कर भेज रहे हैं।

धन्यवाद

प्रार्थी

दीपक रावत

(सम्पादक)

साप्ताहिक, जनलोक खबर

मधुनगर, आगरा।

मौ0- 9690070150, फ़ैक्स : 0562- 2410055

ईमेल : rawat.rajexpress@gmail.com